

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा (मध्यप्रदेश)

दूरभाष-07577- 225007, 225006

फैक्स- 07577- 225011

कमांक/7909/स्थापना/2016-17
प्रति,

हरदा दिनांक 18/07/2017

उप संचालक (विज्ञापन)
जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0
बाणगंगा भोपाल

विषय:- विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में ।
संदर्भ:- म0प्र0राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र कमांक एफ 08-02/2015/एक/1419
दिनांक 28 जून 2017

—00—

संदर्भित पत्र के परिपालन में आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) के लिए अस्थायी तौर पर सृजित डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) आधार पर नियुक्ति हेतु 01 दैनिक समाचार पत्र एवं म0प्र0माध्यम द्वारा प्रकाशित रोजगार निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें । विज्ञापन एवं आवेदन पत्र की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

अपर कलेक्टर
जिला-हरदा

हरदा दिनांक 18/07/2017

पृ0कमांक 7910 /स्थापना/2016-17
प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, 58 अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन हरदा की ओर सूचनार्थ ।

अपर कलेक्टर
जिला-हरदा

वेक्सई डाटा एन्ट्री करने हेतु NIC

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला हरदा (म.प्र.)

क्रमांक/.....7911.....

हरदा दिनांक 19/07/2017

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)
पदपूर्ति हेतु विज्ञप्ति

पद का विवरण	आरक्षण की स्थिति	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) 01 पद रुपये 10,260/- प्रतिमाह	अनारक्षित	1.राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण 2.मेप आई.टी. द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT परीक्षा उत्तीर्ण 3.मध्यप्रदेश का मूल निवासी	दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष । महिला ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष	05 अगस्त 2017 (शनिवार)

- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) की नियुक्ति दिनांक 28.02.2018 तक के लिए की जायेगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी ।
- आवेदक निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र अंतिम तारीख तक जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः भेज सकते है । विस्तृत जानकारी और शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्ररूप मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है ।
- शैक्षणिक योग्यता ,मूल निवास, आरक्षण और आयु की शर्ते पूरी करने वाले आवेदक का चयन CPCT परीक्षा मे कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से किया जायेगा । CPCT परीक्षा मे अंग्रेजी और हिन्दी टाईपिंग मे क्वालिफाई करना आवश्यक है, यदपि टाईपिंग का स्कोर मेरिट में नही जोडा जायेगा ।

18/7/17
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) जिला-हरदा (म.प्र.)
जी.डी. चौधरी
सहायक ग्रेड-2
स्थानीय निर्वा. (शाखा)
हरदा

परिशिष्ट-4
जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद हेतु
आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर

जिला -

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
फोटोग्राफ चिपकाये और
स्वसत्यापित करें

क्रमांक	विषय	जानकारी
1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
2.	आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)	
3.	पिता/पति का पूरा नाम	
4.	लिंग पुरुष/महिला/अन्य	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	जन्मतिथि (शब्दों में)	
7.	जाति अनारक्षित/अजा/अजजा/अपिव	
8.	पत्र व्यवहार का पता	
9.	स्थायी पता	
10.	फोन नम्बर	
11.	मोबाईल नम्बर	
12.	ईमेल एड्रेस	
13.	क्या आप मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं (हाँ/नहीं)	

14. शैक्षणिक योग्यता :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / प्रतिशत
1.	हाई स्कूल			
2.	हायर सेकेंडरी / 10+2			
3.	CPCT स्कोर कार्ड (कम्प्यूटर प्रोफेशियेन्सी)			
4.	CPCT स्कोर कार्ड (अंग्रेजी टाईपिंग)			
5.	CPCT स्कोर कार्ड (हिन्दी टाईपिंग)			
6.				
7.				

घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो) 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	विषय	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	हाई स्कूल की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु)	
2.	हायर सेकेंडरी / 10+2 की अंकसूची	
3.	CPCT स्कोर कार्ड	
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र	
5.	मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र	
6.		
7.		
8.		

*नोट - दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जायें।

आवेदक के हस्ताक्षर